न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 21/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	**बनाम**	1. अमराराम पुत्र नारणाराम जाति चौधरी निवासी दाखां सिणधरी जिला बाड़मेर (फर्म मोती किराणा स्टोर, छत्रियो का मोर्चा जसोल रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर का मुनिम) 2. दूधाराम पुत्र नारणाराम प्रोप्राईटर फर्म मोती किराणा स्टोर, छत्रियों का मोर्चा जसोल रोड़, बालोतरा जिला बाड़मेर 3. अशोक पारेख पुत्र रामलाल पारेख अरिहन्त नगर गुरेद का तालाब रोड, जोधपुर (प्रोप्राईटर मैसर्स एमएम फूड मुख्य कृषि मण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बलवन्त सिंह चौधरी अप्रार्थी सं0 01 व 02 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 03 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 22.5.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त दोपहर 02.00 बजे मैसर्स मोती किराणा स्टोर, छत्रियो का मोर्चा जसोल रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर पहुंचने पर फैक्ट्री में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम अमराराम पुत्र नारणाराम जाति चौधरी निवासी दाखां सिणधरी जिला बाड़मेर मैसर्स मोती किराणा स्टोर छत्रियो का मोर्चा जसोल रोड़ बालोतरा का मुनिम होना बताया। दुकान का

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ–साथ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार 500–500 ग्राम के 20 पैकेटो में भरी हुई पाई गई। जिसे अमराराम द्वारा आम जनता को बिक्री हेतु अपने कब्जा में रखा हुआ था। हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को रूपये 440/– नगद अदा कर 20 पैकेटो में से आधा–आधा किलोग्राम के 4 पैकेट 2 किलो खरीदी एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 735 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक पर लेबल चिपकाया। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.735 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.735 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर से पत्रांएलएस/20/एक्ट/2017/21 दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

24.01.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार का नमूना पी. 735 **Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006** पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.735 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभिभाषक प्रथम उपस्थित एवं विप्रार्थी सं. 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 03 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किय गये।

3. विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निपटारा लोक अदालत की भावना के अनुरूप करने हेतु निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने जाहिर किया कि परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/20/एक्ट/2017/21 दिनांक 24.01.2017 के अनुसार विप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार का नमूना पी. 735 **Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006** पाया गया जिसके लिये अभियुक्त विप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है। विप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

की धारा 52 अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाकर, उसे दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण अभियुक्त अमराराम वगैरा द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर ब्राण्ड मनुहार का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में विप्रार्थी संख्या 01 अमराराम व विप्रार्थी संख्या 02 दूधाराम प्रत्येक पर रूपये 3000/– अक्षरे रूपये तीन–तीन हजार मात्र तथा विप्रार्थी संख्या 03 अशोक पारख पर रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। विप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से निर्णय तारीख 22.5.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा करावें एवं प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट,बाडमेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर